न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 109/2020
GCMS NO. : 2020/00179

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. नन्दलाल बैरवा पुत्र नेहनूराम जाति बैरवा निवासी ग्राम धनावढ तहसील बसवा जिला दौसा (राजस्थान)।

1. हगराम पुत्र भैरा जाति भाम्बी निवासी ग्राम लितरिया तहसील जैतारण।
2. रकाराम पुत्र भैरा जाति भाम्बे निवासी ग्राम लितरिया तहसील जैतारण।
3. राजस्थान सरकार बजरिए तहसीलदार महोदय जैतारण तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 तथा सपठित धारा 151सी.पी.सी **तारीख रजू:– 02.09.2020**

उपस्थितः–
1. श्री गौरव गुप्ता, दिनेश रांकावत, रमेश कुमावत, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :: **दिनॉकः–20/06/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 304 रकबा 15.10 हैक्टयर स्थित ग्राम लितरिया, तहसील जैतारण, जिला पाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित हैं जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 7/10 एवं अप्रार्थी संख्या–1 हगराम पुत्र भैरा का हिस्सा 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या–2 रकाराम का हिस्सा 1/20 राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। उक्त भूमि वादग्रस्त है जिसे प्रार्थनापत्र में आगे चलकर वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपने–अपने हिस्सेनुसार वादग्रस्त भूम पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत बंट्वारा नही हुआ हैं। यह कि विगत कुछ वर्षो से जमीनो के बाजार भाव बढ़ गये हैं अप्रार्थी ने अन्य भू–माफिया लोगो से मिलकर वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंट्वारा कराये बिना वादग्रस्त भूमि को दीगर व्यक्तियो को विक्रय करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई हक एंव अधिकार प्राप्त नहीं हैं। दिनांक 26.07.2020 को अप्रार्थी संख्या– 1 व 2 कुछ व्यक्तियो को वादग्रस्त भूमि पर लेकर आये तथा विक्रय बाबत बातचीत करने लगे जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहा [illegible] भूमि का पहले राजस्व रिकार्ड में विधिवत बंट्वारा करवा लो तो [illegible] ने बंट्वारा कराने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थी [illegible] ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि हमे बंट्वारा कराने की कोई आवश्यकता [illegible]ही है हम उक्त [illegible] को बिना बंट्वारा कराये ही विक्रय कर देगें इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह वाद बाबत विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ हैं। वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा किया जाकर प्रार्थी के हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अलग से खाता बनाया जावे तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि का कब्जे अनुसार अलग से सीमा निर्धारित की जावे तथा उसी के अनुसार अलग से लगान निर्धारण किया जावे। अप्रार्थी संख्या-3 राजस्थान सरकार वादग्रस्त भूमि का भूधारक हैं और वाद तकासमा में आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे उक्त वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया हैं। अप्रार्थी संख्या-3 के विरूद्ध बाद संस्थित किये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के तहत नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन प्रार्थी का वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा कराये बिना ही बेचान किये जाने पर आमादा होकर वादग्रस्त भूमि को बेचान किये जाने की ऐलानिया धमकी इसलिए अप्रार्थी संख्या-3 को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये बिना ही माननीय न्यायालय के समक्ष वाद संस्थित किया जा रहा हैं तथा नोटिस में छुट किये जाने हेतु उक्त प्रार्थनापत्र के साथ नोटिस में छुट दिये जाने हेतु धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र अलग से पेश हैं। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया तो अप्रार्थीगण वादग्रस्त सम्पत्ति का विधिवत रूप से बटवारा करवाये बिना ही सम्पत्ति का बचान कर देगें और प्रार्थी को उसके मालिकाना हक एवं अधिकार की सम्पत्ति से बेदखल कर देगें जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी भविष्य पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला हैं तथा सुविधा का संतुलन भी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित हैं। अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा करवाये बिना किसी भी दीगर व्यक्ति को बेचान, रहन आदि नही करे और ना ही विक्रय पत्र पंजीयन करवाये तथा प्रार्थी को उसके मालिकाना कब्जे शुदा हक एवं अधिकार की सम्पत्ति से जबरन बेदखली नहीं करें। ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करे ओर ना ही किसी अन्य से करवाये।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर उभय पक्ष का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

(01) **प्रथम दृष्ट्या मामला :-** प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी ग्राम लितरिया तहसील जैतारण के खसरा संख्या 304 रकबा 15.10 हैक्टर के बंटवाड़ा बाबत् वादपत्र के साथ हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सामलाती सहखातेदारी भूमि है जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अप्रार्थीगण बिना बंटवाड़ा करवाये वादग्रस्त भूमि को दीगर व्यक्तियो को विक्रय करने पर आमादा है जिस पर इन्हे कोई अधिकार नही है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि का विधिवत् बंटवाड़ा करवाये बिना दीगर व्यक्तियो का रहन बेचान हस्तान्तरण आदि नही करे।

अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई, वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है। प्रार्थी स्वयं पंजीकृत बेचाननामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार एवं विक्रेता द्वारा बंटवाड़ा करवाये बिना अविभाजित भूमि में से ही हिस्सा क्रय किया गया है अतः प्रार्थी को यह हक नही है कि वह मूल खातेदारान् को अपना हक हिस्सा रहन, बैचान आदि करने से निवारित करवाये, जबकि प्रार्थी स्वयं अजनबी क्रेता रहा है अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नही होने से यह बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व *(03) अपूर्णनीय क्षति :-* चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही हुआ है साथ ही अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है तथा प्रार्थी स्वयं अजनबी क्रेता के रूप में वादग्रस्त आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज हुआ है अतः प्रत्येक सहखातेदार के हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होता है लिहाजा उपर्युक्त दोनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नही होने से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहा हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-::आदेश::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित नही होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 20/06/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:52 IST
Reason: SelfAttested